

निर्णय प्रक्रिया में उपयोग में लाई जाने वाली कार्यप्रणाली ।

- प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन नियमों के अध्याधीन रहते हुए गुण-दोषों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं । निर्णय के पूर्व नियमानुसार विभिन्न स्तरों पर परीक्षण दिये जाने की व्यवस्था है ।
- सनियंत्रण एवं जवाबदेही की दृष्टि से निम्नलिखित व्यवस्था है:-
 - मैदानी अधिकारियों से प्रधान कार्यालय को सामग्री क्रय के लिए Indent प्रेषित करना, जिसमें आवश्यक सामग्री व उपलब्ध सामग्री का विवरण हो।
 - Indent के परीक्षण के पश्चात् सक्षम अधिकारी द्वारा तकनीकी तथा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करना।
 - नियमानुसार निविदाओं का आमंत्रण व क्रय समिति द्वारा नियमों के अन्तर्गत निविदाओं का परीक्षण, तत्पश्चात् आदेश जारी किया जाना।
 - सामग्री का भौतिक तथा तकनीकी रूप से निरीक्षण किया जाना व निरीक्षण प्रपत्र प्रधान कार्यालय को प्रेषित करना।
 - सहायक अभियन्ता द्वारा शत प्रतिशत निरीक्षण आवश्यक तथा रुपए 40,000/- से अधिक के क्रय के लिए कार्यपालन अभियन्ता का भी निरीक्षण आवश्यक।
 - सामग्री प्राप्ति पश्चात् लेखांकन किया जाना।